पहल | खाद्य प्रसंस्करण नीति-2023 में किया जा सकता है बदलाव, छोटे उद्यमियों को लुभाएगी सरकार

खाद्य प्रसंस्करण में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। छोटे उद्यमियों को उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए सरकार रेड कारपेट वेलकम करेगी। इसके लिए अगर जरूरत पड़ी तो खाद्य प्रसंस्करण नीति-2023 में संशोधन करने पर भी विचार करेगी ताकि निवेश करने वालों को प्रदेश में और भी सुविधाएं मिल सके। नई नीति में खाद्य प्रसंस्करण की छोटी-छोटी इकाइयों को प्रोत्साहित किए जाने की योजना है।

दरअसल, खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने प्रदेश में पैदा होने वाले 4 लाख मैट्रिक टन से अधिक फल-सब्जियों का अधिक से अधिक इस्तेमाल का रोडमैप तैयार किया है। इससे पूरे राज्य में ब्रेड बेकरी, चिप्स नमकीन, लॉलीपॉप कैंडी, कैटल फीड, फ्रोजन फूड, फ्रूट जूस के उद्योगों का जाल बिछाने की योजना है। इसे क्रियान्वित करने के लिए दूसरे प्रदेशों के निवेशकों को प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण की इकाइयां स्थापित करने के लिए आकर्षित करने का निर्णय किया गया है।

331 प्रस्तावों को मिल चुकी है स्वीकृति

पिछले दो वर्षों में अब तक 331 प्रस्तावों की स्वीकृति मिल चुकी है। इसमें रेडी टू ईट के 62, सोलर पावर के 58, आईक्यूएफ के 31, सिरियल्स, पल्स के 26, कैटिल फीड के 22, फल एवं सब्जी प्रसंस्करण के 21, दुग्ध प्रसंस्करण के 14, रेडी टू सर्व के 12, बेकरी के 11, मसाला प्रसंस्करण के 11 एवं अन्य प्रोजेक्ट शामिल हैं।

इन क्षेत्रों में निवेशकों को अतिरिक्त सुविधाएं

फल-सब्जियों से तैयार होने वाले प्रसंस्कृत पदार्थ यथा ब्रेड-बेकरी, चिप्स नमकीन, कैटिल फीड, फोर्टिफाइड राइस, फ्रोजेन फूड, रेडी टू ईट, फ्रूट जूस, काजू प्रसंस्करण, दुग्ध प्रसंस्करण, मस्टर्ड आयल एक्स्ट्रेक्शन आदि के क्षेत्र में अधिक से अधिक निवेशकों को आकर्षित करने के सरकार अतिरिक्त सुविधाएं देने पर विचार कर रही है।

हर गांव में कम से कम एक यूनिट लगे: केशव

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इस प्रकार से रणनीति तैयार करें जिससे प्रदेश के प्रत्येक गांव में खाद्य प्रसंस्करण की कम से कम एक यूनिट की स्थापना जरूर कराई जाए। इससे जहां रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे वहीं इस क्षेत्र में प्रदेश अग्रणी बनेगा।